जांजगीर-चाम्पा जिला का परिचय

जांजगीर-चाम्पा जिले की स्थापना 25 मई 1998 को हुई । इसका मुख्यालय जांजगीर नगर में है । ऐतिहासिक दृष्टि से जांजगीर के नामकरण को पूर्व शासक जाज्वल्यदेव से जोड़ा जाता है । इसमें कुल 7 तहसील हैं तथा विकास खण्डों की संख्या 9 है । जांजगीर नगर में विश्व प्रसिद्ध श्री विष्णु मंदिर स्थापित है । यह स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है । जांजगीर-चाम्पा जिले में बहुत सारे दर्शनीय स्थल है । इनमें चंद्रपुर, अड़भार, खोखरा, मदनपुरगढ़, पीथमपुर, शिवरीनारायण, खरौद नगर, तुर्रीधाम, दमऊधारा (ऋषभ तीर्थ), दल्हा पहाड़ (अकलतरा), हरदी, पहरिया (बलौदा), लुथरा शरीफ इत्यादि प्रमुख धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हैं । जिला मुख्यालय से 8 कि.मी. दुर चाम्पा नगर कोसा, कांसा, कंचन के लिए विश्व प्रसिद्ध है ।

पहुंच मार्ग - जांजगीर का रेल्वे स्टेशन जांजगीर-नैला के नाम से जाना जाता है जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे में लगभग 45 कि.मी. (45 मिनट की यात्रा) की दूरी पर स्थित है । राजधानी रायपुर से रेलगाड़ी से सुगम पहुंच है । विशेष परिस्थितियों में सड़कमार्ग से भी पहुँचा जा सकता है । हावड़ा की दिशा से आने वाले यात्रा मुम्बई रेल मार्ग पर चाम्पा जक्शन अथवा जांजगीर-नैला रेल्वे स्टेशन से महाविद्यालय पहुँच सकते हैं । जांजगीर नगर में महाविद्यालय रेल्वे स्टेशन से 4 कि.मी. दूर खोखरा मार्ग में स्थित है । जांजगीर-नैला रेल्वे स्टेशन तथा निकटतम जक्शन चाम्पा में अधिकांश एक्सप्रेस तथा पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव है ।

संगोष्ठी में सहभागिता हेतु पंजीयन प्रपत्र

1. प्रतिभागी का नाम .....
2. पद/कक्षा .....
3. संस्था/संगठन का नाम .....
4. पता .....

.....

.....

5. दूरवार्ता/मोबाईल नं. .....

.....

6. ईमेल आईडी .....
7. शोध पत्र/आलेख का शीर्षक .....
8. पंजीयन शुल्क की जानकारी .....

प्रतिभागी के हस्ताक्षर

नोट : (1) इस प्रपत्र का फोटोकापी कराकर कृपया उपयोग करें ।
(2) पंजीयन शुल्क में केवल सेमीनार किट, स्वल्पाहार, लंच तथा हाईटी सम्मिलित है ।

Concept Note of the Seminar's Title

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act (RTE) is an Act of the Parliament of India enacted on 4 August 2009, which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between the age of 6 to 14 years in India under Article 21A of the Indian Constitution. India became one of 135 countries to make education a fundamental right of every child when the act came into force on 1 April 2010. The title of the RTE Act incorporates the words 'free and compulsory'. 'Free education' means that no child, other than a child who has been admitted by his or her parents to a school which is not supported by the appropriate Government, shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education. 'Compulsory education' casts an obligation on the appropriate Government and local authorities to provide and ensure admission, attendance and completion of elementary education by all children in the 6-14 age group. With this, India has moved forward to a rights based framework that casts a legal obligation on the Central and State Governments to implement this fundamental child right as enshrined in the Article 21A of the Constitution, in accordance with the provisions of the RTE Act.17.

Present Act has its history in the drafting of the Indian constitution at the time of Independence but is more specifically to the Constitutional Amendment of 2002 that included the Article 21A in the Indian constitution making Education a fundamental Right. This amendment, however, specified the need for a legislation to describe the mode of implementation of the same which necessitated the drafting of a separate Education Bill. It is the 86th amendment in the Indian Constitution.

A rough draft of the bill was prepared in year 2005AD. It caused considerable controversy due to its mandatory provision to provide 25% reservation for disadvantaged children in private schools. The sub-committee of the Central Advisory Board of Education which prepared the draft Bill held this provision as a significant prerequisite for creating a democratic and egalitarian society. Indian Law commission had initially proposed 50% reservation for disadvantaged students in private schools.

On 7 May 2014, The Supreme Court of India ruled that Right to Education Act is not applicable to Minority institutions.

The Act makes education a fundamental right of every child between the ages of 6 and 14 and specifies minimum norms in elementary schools. It requires all private schools(except the minority institutions) to reserve 25% of seats for the poor and other categories of children (to be reimbursed by the state as part of the public-private partnership plan). Children are admitted in to private schools based on caste-based reservations. See Page 9 and Point no 4 of This Document. It also prohibits all unrecognised schools from practice, and makes provisions for no donation or capitation fees and no interview of the child or parent for admission. The Act also provides that no child shall be held back, expelled, or required to pass a board examination until the completion of elementary education. There is also a provision for special training of school drop-outs to bring them up to par with students of the same age.

The RTE act requires surveys that will monitor all neighbourhoods, identify children requiring education, and set up facilities for providing it. The World Bank education specialist for India, Sam Carlson, has observed:

The RTE Act is the first legislation in the world that puts the responsibility of ensuring enrolment, attendance and completion on the Government. It is the parents' responsibility to send the children to schools in the US and other countries.

The Right to Education of persons with disabilities until 18 years of age is laid down under a separate legislation- the Persons with Disabilities Act. A number of other provisions regarding improvement of school infrastructure, teacher-student ratio and faculty are made in the Act.

इस प्रकार 1 अप्रेल 2010 से सम्पूर्ण भारत में जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावशील है । इस अधिनियम को सही रूप में क्रियान्वित कर 2020 तक एक नालेज सोसायटी के रूप में रूपांतरित किया जाना है, यही हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का भी स्वप्न था । शिक्षा का अधिकार के समुचित क्रियान्वयन के लिए आर्थिक सहायता केन्द्र 55% तथा राज्य 45% दोनों मिलकर उठा रहे हैं । परंतु व्यवहार में अभी भी इस अधिनियम का क्रियान्वयन समुचित रूप में नहीं हो पाया है । इस अधिनियम से बच्चों को क्या लाभ हुआ है और अभिभावकों की क्या अपेक्षाएँ हैं एवं प्रदेश तथा देश की साक्षरता एवं शिक्षा का जीईआर भविष्य में क्या होगा, इसी अवधारणा को सामान्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर तथा विशेष रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पर इस सेमिनार के माध्यम से अन्वेषित एवं विश्लेषित किया जाना है तथा भविष्य में इसके क्रियान्वयन की चुनौतियों का सीमित संसाधनों में सकारात्मक समाधान खोजते हुए इसमें क्या सुधारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं, इसकी भी चर्चा इस संगोष्ठी में की जावेगी ।

विमर्श बिन्दु

1. शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विधिक विश्लेषण
3. बाल अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार
4. शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कमियां तथा उसमें सुधार के उपाय
5. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का जमीनी दशा
6. छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के अधिकार का क्रियान्वयन
7. शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन की भूमिका एवं रणनीति
8. घुमन्तु जाति वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार का औचित्य एवं उन्हें शिक्षित करने के उपाय
9. थर्ड जेन्डर के परिवार के सदस्यों के लिए शिक्षा का अधिकार का क्रियान्वयन
10. शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी अन्य विषय वस्तु

पंजीयन शुल्क : प्राध्यापक : 300/-
शोधार्थी : 200/-
विद्यार्थी : 150/-

पंजीयन शुल्क संगोष्ठी के दिन अथवा उसके पूर्व नकद जमा किया जा सकेगा ।

शोध पत्र आलेख आमंत्रण :-

29 फरवरी 2020 तक संक्षेपिका 300 शब्द , पूर्ण शोध पत्र अधिकतम 2000 शब्द ए4 साईज पेपर पर टंकित कर सी.डी. एवं ई-मेल : ishabrijwasi@gmail.com एड्रेस में Kriti Dev 010 अथवा Times New Roman में माईक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में सॉफ्ट कॉपी भेजना सुनिश्चित करें । चयनित शोध पत्र का प्रकाशन सहकारिता के आधार पर ISBN किताब के रूप में होगा, जिसके लिए पृथक से सहयोग राशि देय होगा ।

आयोजन समिति

संरक्षक	–	डॉ. ए.पी. वर्मा, प्राचार्य	मो. 9589341000
संयोजक	–	प्रो. ईश्वरी बृजवासी सूर्यवंशी	मो. 8770826148
सचिव	–	डॉ. सविता पाण्डेय	मो. 9826550607
सदस्य	–	प्रो. आर.के. पाण्डेय, विभागाध्यक्ष इतिहास	मो. 9826186337
		डॉ. के.पी. कुर्रे, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र	मो. 9685949120
		डॉ. श्रीमती वृन्दा सेनगुप्ता, समाजशा. विभाग	मो. 9893931581
		डॉ. मंजू कश्यप, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र	मो. 9584895167
		डॉ. डी.एस. मरावी, विभागाध्यक्ष दर्शनशास्त्र	मो. 7089209870
		डॉ. एम.एल. पाटले, विभागाध्यक्ष हिन्दी	मो. 9424142388
		डॉ. के.के. मिश्रा, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र	मो. 9993244325
		डॉ. पी.के. सिंह, रसायन शास्त्र विभाग	मो. 9425572780
		प्रो. आर.जी. खुंटे, विभागाध्यक्ष गणित	मो. 9179008487
		डॉ. एस.के. मधुकर, विभागाध्यक्ष वाणिज्य	मो. 8770357644
		डॉ. आर.जी. राठौर, वरिष्ठ क्रीड़ाधिकारी	मो. 9826131149
		डॉ. एम.आर. बंजारे, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी	मो. 7987617967
		डॉ. परमजीत पाण्डेय, हिन्दी विभाग	मो. 8305438588
		डॉ. आभा सिन्हा, विभागाध्यक्ष विधि विभाग	मो. 8982511005
		डॉ. अभय सिन्हा, विधि विभाग	मो. 9425228361
		डॉ. जी.एन. सिंह, विधि विभाग	मो. 7697860980
		प्रो. नरेश आजाद, विधि विभाग	मो. 9926123139
		श्री ओ.पी. सिंह, ग्रंथपाल	मो. 7828506548
		डॉ. के.के. पटेल, माईक्रोबायलॉजी विभाग	मो. 9406113245
		प्रो. रश्मि शर्मा, भौतिकी विभाग	मो. 9685392807
		प्रो. कंचनलता सिंह, वनस्पति शास्त्र विभाग	मो. 7566745755
		श्रीमती रेखा कश्यप, प्राणीशास्त्र विभाग	मो. 9425547891
		प्रो. धनेश्वरी पटेल, संस्कृत विभाग	मो. 9340104145
		श्री पी.के. शर्मा, छात्रावास अधिक्षक	मो. 9407688022
		श्री बी.आर. लाठिया, मुख्य लिपिक	मो. 9165380866

महाविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण, ज.भ.स. कर्मचारी गण

अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति

* डॉ. पेगी फ्रोरर, ब्रुनेल यूनिवर्सिटी, लंदन
* मेरी इलोडी, फ्रांस
* डॉ. एस.आर. कमलेश, क्षेत्रिय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, बिलासपुर
* डॉ. एस.एल. निराला, प्राचार्य, शासकीय बिलासा कन्या पी.जी. कॉलेज, बिलासपुर
* डॉ. डी.आर. लहरे, प्राचार्य, शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़
* डॉ. पी.सी. घृतलहरे, प्राचार्य, शासकीय महात्मा गांधी कला एवं विज्ञान पी.जी. कॉलेज, खरसिया
* डॉ. अजय चन्द्राकर, राजनीति विज्ञान विभाग, शास.दुर्गा पी.जी. कॉलेज रायपुर
* प्रो. बी.के. पटेल, प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़
* डॉ. प्रभा गुप्ता, शासकीय नवीन महाविद्यालय, बिर्रा, जिला : जांजगीर-चाम्पा
* डॉ. देवेन्द्र शुक्ला, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, सक्ती
* डॉ. प्यारेलाल आदिले, प्राचार्य, जे.बी.डी. महाविद्यालय, कटघोरा
* श्री आनंद शुक्ला, रीजनल डायरेक्टर, ऑक्सफेम इण्डिया, रायपुर
* डॉ. प्रबोध कुमार अधिकारी, संयुक्त संचालक, एससीईआरटी, रायपुर
* श्री लक्ष्मी जायसवाल, अध्यक्ष, विकासशील फाउण्डेशन, बिलासपुर

Invitation

International Interdisciplinary Research Seminar

on

Right to Education :

Challenges of Implementation and Remedial Measures for Future Improvement

शिक्षा का अधिकार :

क्रियान्वयन की चुनौतियाँ एवं भावी सुधार के उपाय

(With Special Reference to Chhattisgarh)

March 02, 2020

To,

Dr./Prof. ____________

From :

Dr. A.P. Verma

Principal and Patron

Govt. TCL Post Graduate College, Janjgir

Distt. Janjgir-Champa (C.G.)

M. : 9589341000

Right to Education

Sarva Shiksha Abhiyan

Let us Learn - Let us all Grow

Government of Chhattisgarh

Department of Higher Education

Govt. TCL Post Graduate College Janjgir

Distt. Janjgir-Champa (Chhattisgarh)

(Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalay, Bilaspur,C.G.,INDIA

A State University

International Interdisciplinary Research Seminar

on

Right to Education :

Challenges of Implementation and Remedial Measures for Future Improvement

शिक्षा का अधिकार :

क्रियान्वयन की चुनौतियाँ एवं भावी सुधार के उपाय

(With Special Reference to Chhattisgarh)

March 02, 2020

Dr. A.P. Verma

Principal and Patron

Ishwari Brijwasi Suryavanshi

Convener

Dr. Savita Pandey

Organizing Secretary

Organized by :

Department of Post Graduate Studies and Research in Political Science